आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 35/2012** **रामजीवन प्रसाद बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 350 दिनांक 3/3/2012 के विरुद्ध दायर किया गया है। एक जिला स्तरीय जाँच दल के द्वारा दिनांक 15/1/2011 को अपीलकर्त्ता की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण तिथि को दुकान बंद पायी गई थी और उसके बाद कारणपृच्छा के उपरान्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपीलकर्त्ता का पक्ष है कि निरीक्षण तिथि को दुकान इसलिए बंद पायी गई थी, क्योंकि वे अपने भतीजे की शादी के लिए लड़की देखने सपरिवार सोनपुर गए थे। अपीलकर्त्ता ने यह भी दलील दी है कि प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अनुज्ञापन पदाधिकारी ने वरीय प्राधिकार के बाह्य निर्देश का अनुपालन किया है और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है। प्रश्नगत आदेश को विधि मान्य बताते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत कारणों से मनमाने तौर पर जन वितरण प्रणाली दुकान को बंद नहीं रखा जा सकता है। किसी की शादी के सिलसिले में दुकान को बंद रखने का वैधिक औचित्य बिल्कुल नहीं है और वह भी बिना पूर्वानुमति के अनधिकृत तौर पर। अपीलकर्त्ता ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया है, जिससे स्पष्ट हो कि दुकान बंद करना अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण था। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने यह भी स्पष्ट किया कि वरीय प्राधिकारों के द्वारा निरीक्षण का आदेश देना और निरीक्षण के आलोक में कठोर कार्रवाई करने का निदेश देना पूरी तरह विधि-सम्मत् है और ऐसा निदेश न्यायिक प्रकिया में बाह्य कारक नहीं माना जा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने तथा मूल अभिलेख का अवलोकन करने से मेरा स्पष्ट निष्कर्ष है कि भतीजे की शादी के लिए लड़की देखने के लिए दुकान बंद करना पूरी तरह अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना है। अपीलकर्त्ता ने ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं रखा है, जिससे दुकान बंद करने की घटना के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति दिखायी जा सके। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 27/1/13 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	